



फाइल नं० 17/बी०एस०जी०-150/2014-804 (वि०)

बिहार सरकार
वित्त विभाग

90/100
1

पत्रक,

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव

2056
5.9.14

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 01.09.2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 का बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 का पुनरीक्षित प्राक्कलन भेजने के संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश।

आप अवगत हैं कि सभी नियंत्री पदाधिकारी द्वारा विभाग की निर्धारित माँग में व्यय राशि एवं विभाग से संबंधित प्राप्ति की राशि दोनों के प्रावधान हेतु बजट प्राक्कलन समय दिया जाना अपेक्षित है।

बजट प्रावधान उपशीर्ष के अधीन विभिन्न विषय शीर्षों में कर्णांकित किया जाता है। बिहार राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजस्व घाटे (Revenue Deficit) को शून्य रखा जाना है और राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की अधिसीमा तक रखा जाना है। सरकार को व्यय में पूर्ण मितव्ययिता बरतनी है और व्यय प्रस्ताव राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में दी गई सीमाओं के अन्तर्गत रखना है, अतएव प्रस्तावित बजट प्राक्कलन प्रेषित करने के पूर्व उसकी विभागीय स्तर पर अच्छी तरह से समीक्षा कर Need-based प्रस्ताव भेजे जाने की आवश्यकता है।

2. सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/ नियंत्री पदाधिकारियों से अनुरोध है कि प्रत्येक उप-शीर्ष के संबंध में निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-II) में सूचना देने के अतिरिक्त टिप्पणी निम्नांकित सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए दें:-

(क) उपशीर्ष से संबंधित कार्य अथवा योजना के उद्देश्य।

(ख) प्रस्तावित कार्यक्रम के समेकित उद्देश्य (Overall Objective) के संबंध में औचित्य।

(ग) वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य, तथा 2015-16 के प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य।

शुक्र प्रति श्री बरबला

(घ) उपशीर्ष से संबंधित अथवा योजना में वर्तमान में स्वीकृत/कार्यरत प्रत्येक श्रेणी के पद एवं पदों की संख्या का औचित्य ।

3. सभी विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्री पदाधिकारियों से यह भी अनुरोध है कि वे सभी वर्तमान गैर योजना/योजना स्कीमों की गहराई से समीक्षा करें, जिससे ऐसी स्कीमों में जो वास्तविक उद्देश्य नहीं प्राप्त कर रही हों को समाप्त किया जा सके अथवा फेज आउट किया जा सके तथा ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत कर्मचारियों की संख्या को कम किया जा सके। जहाँ कार्यरत बल अधिक है उन्हें अन्यत्र पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किये जाने का प्रस्ताव दिया जाय। प्रशासी विभाग द्वारा विभागवार एवं पदवार तथा वेतनमान एवं ग्रेड पे के अनुसार कुल स्वीकृत एवं कार्यरत बल की समेकित विवरणी भी उपलब्ध करायी जानी है ।

4. बजट प्राक्कलन तैयार करने के संदर्भ में निम्नलिखित दिशा-निदेशों का अनुपालन किया जाना होगा:-

i. वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट प्राक्कलन: विभागों द्वारा गत तीन वर्षों के वास्तविक व्यय एवं अन्य विश्वस्त कारकों को ध्यान में रखकर बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना है । बजट को वास्तविक परक बनाया जाना है । तात्पर्य यह कि उतनी ही राशि का बजट में प्रावधान कराया जाना चाहिए जितनी राशि व्यय होना संभावित है । किसी भी उपशीर्ष में राशि प्रावधान करने के समय यह देखने की आवश्यकता है कि पूर्व के वर्षों में उन उपशीर्षों पर कितनी राशि व्यय हुई है और बचत कितनी है । राशि बचत नहीं हो, ऐसा ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के आधार पर ही बजट प्राक्कलन उक्त उपशीर्ष में किया जाना है । यहां यह भी ध्यान रखा जाना है कि वर्ष 2015-16 में उपशीर्षवार तथा विषयशीर्षवार राशि का प्राक्कलन वर्ष 2014-15 को आधार बनाकर नहीं किया जाना है बल्कि वेतनादि मद में कुल वास्तविक कार्यरत बल के अनुसार अनुमानित व्यय के आधार पर तथा गैर वेतनादि मद में राशि का प्राक्कलन पूर्व के तीन वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर औसत व्यय के अनुसार आवश्यकता के आलोक में किया जाना है ।

ii. कार्यरत बल के लिए वेतन एवं जीवन यापन भत्ता:-स्थापना के लिए राशि का आकलन कार्यरत बल के आधार पर ही किया जाय। वर्ष के दौरान संभावित नियुक्तियों के लिए पूरक बजट में प्रावधान किया जायेगा । वेतन में मार्च से जून तक के लिए वर्तमान वेतन और जुलाई से फरवरी तक के लिए 3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को जोड़कर गणना की जाए। जीवन यापन भत्ता वर्तमान में 100 प्रतिशत दिया जा रहा है एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में 102 प्रतिशत तक का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए जीवन यापन भत्ता की गणना वेतन के 118 प्रतिशत पर की जाय। मकान किराया भत्ता की गणना

वेतन पर देय निर्धारित प्रतिशत के आधार पर की जाए। परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं विशेष वेतन के लिए निर्धारित दर के अनुसार प्रावधान रखा जाना है। अन्य भत्ते जो कर्मियों/पदाधिकारियों को दिए जाते हैं उसे 'अन्य भत्ते' नामक विषय शीर्ष में सम्मिलित किया जाना है। स्थापना से भिन्न व्यय को वर्ष 2014-15 के पूर्व के तीन वर्षों के औसत वास्तविक व्यय के स्तर या उससे आवश्यकतानुसार कम से कम पर रखा जाय। अगर किसी कारण अधिक राशि अपेक्षित है तो उसका विस्तृत औचित्य अभ्युक्ति कॉलम (प्रपत्र-I) में अवश्य स्पष्ट किया जाय।

iii. **परिणाम बजट:**—विभाग के अधीन राज्य योजना, केन्द्रीय योजनागत योजना एवं गैर योजना के अंतर्गत जिन परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रस्तावित है, उसका भौतिक लक्ष्य/अन्य मात्रात्मक (Quantifiable) सूचनाओं के साथ 'परिणाम बजट' के रूप में अलग से उपलब्ध कराया जाय। सूचना निर्धारित प्रपत्र-V में दी जाय।

iv. **जेंडर बजट:**— जिन परियोजनाओं से महिलाओं को लाभ हो रहा है, उसमें कितनी राशि व्यय हो रही है, और क्या भौतिक लक्ष्य प्राप्त होगा, उसे स्पष्ट किया जाय (प्रपत्र-VI)। इस संदर्भ में दो श्रेणियों में विवरण उपलब्ध कराए जाएं :—

(i) वैसी परियोजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत राशि महिलाओं पर व्यय की जा रही है एवं

(ii) वैसी परियोजनाएं जिसमें 30 प्रतिशत या उससे अधिक राशि व्यय की जा रही है।

v. **बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट:**— जिन परियोजनाओं/ योजनाओं में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कल्याण यथा शैक्षिक, स्वास्थ्य, बाल सुरक्षा, पोषाहार आदि पर व्यय किया जा रहा है, ऐसे योजनाओं के संदर्भ में सूचना/आंकड़े विहित प्रपत्र (प्रपत्र-vii) में उपलब्ध कराये जाएं। साथ ही परियोजनावार भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति का भी उल्लेख परियोजना की संक्षिप्त जानकारी के साथ दिया जाना है।

vi. **राज्य योजना हेतु केन्द्रीय सहायता एवं केन्द्रीय योजनागत योजना:**— इन योजनाओं के लिए व्यय होने वाली राशि के साथ-साथ प्राप्ति का बजट प्राक्कलन दिया जाय। अगर वित्तीय वर्ष 2014-15 अथवा इसके पूर्व के वर्षों में राशि प्राप्त हो गयी है और राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया जाना प्रस्तावित है तो प्राप्ति के लिए अलग से बजट प्राक्कलन नहीं देना होगा। व्यय के बजट प्राक्कलन के अभ्युक्ति कॉलम (प्रपत्र-I) में स्पष्ट कर देना होगा कि राशि किस स्वीकृति आदेश से किस वर्ष प्राप्त हो गयी है।

vii. **राज्य योजना:-** वार्षिक योजना 2015-16 के लिए योजना एवं विकास विभाग द्वारा निर्धारित उद्व्यय के अनुरूप बजट प्राक्कलन दिया जाए और बजट प्राक्कलन देने के समय यह अवश्य देख लिया जाए कि निर्धारित कर्णांकित परियोजनाओं के लिए बजट प्राक्कलन उद्व्यय के अनुरूप कर्णांकित किया गया है अथवा नहीं । कार्य विभागों के माध्यम से जो राशि व्यय होनी है उसके लिए प्रावधान कार्य विभाग की मांग के अन्तर्गत कराया जाए, इसे ध्यान में अवश्य रखा जाए । बजट प्राक्कलन विहित प्रपत्रों में कार्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के हस्ताक्षर से भेजा जाना होगा । प्रशासी विभाग से बजट प्राक्कलन तैयार किया जाता है तो प्रपत्र के बायें भाग में प्रशासी विभाग और दायें विभाग में कार्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर कर देना होगा ।

viii. **नई परियोजनाएँ :-** इनके लिए बजट में उपबंध तभी किया जाय, जब इन पर राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी हो। नयी परियोजनाओं की सूची प्रपत्र-III में दी जाय। चालू योजनाओं को पूर्ण करने के लिए राशि कर्णांकित करने को प्राथमिकता दी जाय।

ix. **राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ:-** इसमें बजट प्राक्कलन में वैसी राशि जो पिछले वर्षों की बकाया राशि है उसे अलग से अंकित किया जाय और यह स्पष्ट किया जाय कि कितनी राशि उसमें से वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त होगी। अतिरिक्त रासाधन जुटाने के लिए जो विशेष उपाय किये जाने प्रस्तावित हैं, उनका विवरण एवं प्राप्त होने वाली राशि को अलग से अभ्युक्ति कॉलम (प्राप्तियाँ प्रपत्र-I) में स्पष्ट कर दिया जाय।

x **गाड़ियाँ, दूरभाष, मोबाईल, वर्दीधारी कर्मियों की सूचना:-** जिस उपशीर्ष में वाहनों के ईंधन/रख-रखाव, दूरभाष, मोबाईल पर व्यय हेतु राशि की आवश्यकता हो, उक्त उपशीर्ष में कितनी गाड़ियाँ, दूरभाष, मोबाईल प्रयुक्त हो रहे हैं, इसकी सूचना अंकित की जाय (प्रपत्र-I)। इसी प्रकार वर्दीधारी कर्मियों की संख्या भी अंकित की जाय।

xi. **स्वीकृत एवं कार्यरत बल की सूची:-**प्रत्येक कोटि के स्वीकृत एवं कार्यरत बल की संख्या संलग्न कर (प्रपत्र-II) भेजी जाय। प्रशासी विभाग के नियंत्राधीन निगम/बोर्ड/वाणिज्यिक संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों/अन्य सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या तथा उनके वेतन ब्यौरा संबंधित विवरणी (प्रपत्र-IV) में दी जाय।

xii. **निकाय के मूलधन एवं सूद का विवरण:-** किसी निकाय द्वारा लिये गये ऋण, जिसके भुगतान का दायित्व राज्य सरकार का है, के संबंध में उक्त भुगतान किये जाने वाले मूलधन एवं सूद की राशि का विवरण तैयार कर भेजा जाय। (प्रपत्र-VIII)

iii नया उपशीर्षः— कोई नई परियोजना, जिसके लिए नया उपशीर्ष खोलकर राशि का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है, के संबंध में उपशीर्ष खोलने एवं महालेखाकार(लेखा एवं हक) से सहमति प्राप्त करने की भी कार्रवाई की जाय। महालेखाकार से सहमति के बाद ही व्यय संभव होगा।

5. महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार पटना ने अर्द्धसरकारी पत्र बुक/एम0सी0ए0 वित्तीय वर्ष 2009-10 (पूरक)-104 दिनांक-02.07.2010 से यह अनुरोध किया है कि विभिन्न मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत लघु शीर्ष-800- अन्य व्यय/ अन्य प्राप्ति के अधीन कार्यरत उपशीर्ष में राशि का प्रावधान नहीं किया जाए। वित्तीय वर्ष 2014-15 में लघुशीर्ष-800 अन्य व्यय के अधिकतम उपशीर्षों को समाप्त कर संगत लघुशीर्ष में कर्णांकित करवा दिया गया है। शेष बचे हुए लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय शीर्ष को वर्ष 2015-16 के बजट पुस्तिका में समाप्त कर संगत लघुशीर्ष में करना होगा। इसके लिए पृथक संचिका के माध्यम से प्रस्ताव वित्त विभाग भेजा जाना अपेक्षित है।

प्राप्ति के अन्तर्गत विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्ति के अन्तर्गत कार्यरत उपशीर्ष को किसी अन्य संगत लघु शीर्ष के अन्तर्गत कर्णांकित किया जाना होगा। इसके लिए अलग से प्रस्ताव पृथक संचिका में भेज दिया जाए।

6. वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में गैर योजना मद में व्यय:- वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 चौदहवें वित्त आयोग का कार्यकाल है। 14वें वित्त आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वर्ष 2015-16 में 14वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात ससमय बजट प्राक्कलन हेतु प्रस्ताव मांगा जायेगा।

7. राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में गैर योजना मद में व्यय:-चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के अपने निवल कर राजस्व का 7.50 प्रतिशत अनुदान के रूप में स्थानीय निकायों को दिया जाना है, जिसमें 70 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं एवं 30 प्रतिशत शहरी निकायों को दिया जाना है। वर्ष 2015-16 के बजट में तत्काल चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 7.5 प्रतिशत की राशि निवल कर संग्रह की प्रावधानित की जा रही है जिसमें परिवर्तन पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप बाद के अनुपूरकों में किया जायेगा। वर्ष 2015-16 की गणना के लिए, वर्ष 2013-14 निवल कर संग्रह की राशि को आधार माना जाना है। वर्तमान सूचना के अनुसार राज्य के अपने कर राजस्व की प्राप्ति 19960.68 करोड़ रुपये की हुई है और कर संग्रह में व्यय 643.37 करोड़ रुपये का है। इस प्रकार 19317.31 करोड़ रुपये के निवल कर

राजस्व का 7.5 प्रतिशत राशि 1448.80 करोड़ रुपये स्थानीय निकायों को दी जानी है । जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को 1014.16 करोड़ रुपये राशि एवं शहरी निकायों को 434.64 करोड़ रुपये अनुदान के लिए दिया जाना है जिसके लिए बजट प्रावधान संबंधित विभाग को कराया जाना है ।

8. **विपत्र कोड:-** प्रत्येक उपशीर्ष के लिए निर्धारित विपत्र कोड का इस्तेमाल बजट प्राक्कलन में अवश्य अंकित किया जाय ।

9. **योजना आयोग कोड/CPSMS कोड:-**भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं , केन्द्रीय योजनागत योजना तथा राज्य योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप दी जाने वाली केन्द्रांश की राशि से संबंधित परियोजनाओं के लिए एक कोड निर्धारित किया गया है । इन योजनाओं में केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि अलग-अलग कर्णांकित होती है । महालेखाकार कार्यालय की यह अपेक्षा है कि उक्त योजनाओं के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में किये जा रहे बजट प्रावधान से संबंधित उपशीर्ष में योजना कोड (CPSMS CODE) एवं परियोजनाओं में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात अंकित किया जाए। वित्तीय वर्ष 2015-16 की बजट पुस्तिका में इन उपशीर्षों के नीचे योजना कोड एवं केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात अंकित किया जायेगा, जिसके लिए सॉफ्टवेयर में व्यवस्था की गयी है। योजना कोड की जानकारी विभाग को उपलब्ध नहीं होने पर इसकी सूचना वित्त विभाग के बजट शाखा से प्राप्त की जा सकती है । विभाग को उपरोक्त वर्णित योजना मदों की प्रत्येक परियोजना के केन्द्रांश एवं राज्यांश के उपशीर्षों में योजना कोड एवं केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात अंकित करना सुनिश्चित किया जाना होगा एवं इन योजनाओं के लिए प्राप्त होनेवाली राशि का प्रावधान बजट की प्राप्ति पुस्तिका के जिस उपशीर्ष में अंकित होता है उसमें भी योजना कोड दिया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा ।

10. सहायक अनुदान मद में कर्णांकित राशि को वित्तीय वर्ष 2012-13 से निम्नांकित विषय के अंतर्गत कर्णांकित किया जा रहा है :-

<u>विषय शीर्ष कोड</u>	<u>विवरण</u>
1. 3104	सहायक अनुदान - वेतन
2. 3105	सहायक अनुदान - परिसंपत्तियों का निर्माण
3. 3106	सहायक अनुदान - वेतनादि के अलावा

अतः प्रशासी विभाग सहायक अनुदान में अनुदानित राशि उपरोक्त विषय शीर्ष के तहत कर्णांकित करते हुए कोष्ठक में राशि की प्रविष्टि करायें ।

11. **आर्थिक सर्वेक्षण:**—वर्ष 2014-15 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य आर्थिक नीति एवं लोक वित्त केन्द्र, पटना द्वारा कराया जा रहा है। आगामी बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 का उपस्थापन विधान मंडल में किया जाना है। अतएव इससे संबंधित सूचनाएं/ आंकड़े वित्त विभाग तथा आर्थिक नीति एवं लोक वित्त केन्द्र को प्रेषित किये जायें।

वित्तीय वर्ष 2014-15 का पुनरीक्षित प्राक्कलन :

12. **प्रत्यर्पण:**—प्रशासी विभाग सुनिश्चित करे कि जिस उपशीर्ष में उपबंधित राशि की आवश्यकता नहीं है, अथवा राज्य योजना के परिवर्तन के फलस्वरूप मदों में प्रावधानित राशि की आवश्यकता नहीं है, ऐसी राशि को प्रत्यर्पित किया जाय, ताकि पुनरीक्षित प्राक्कलन में व्यय वास्तविक परक हो सके। यह इसलिए भी आवश्यक है कि वर्ष 2014-15 के पुनरीक्षित प्राक्कलन के आंकड़े भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक आदि के द्वारा व्यवहार में लाये जाते हैं और यदि उनमें अंकित आंकड़े वास्तविकता से परे होते हैं, तो राज्य सरकार की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

13. **पुनर्विनियोग:**—वित्तीय वर्ष 2014-15 में जो राशि किसी मांग में प्रावधानित है, उसके अधीन ही व्यय को सीमित रखने की आवश्यकता है। अतएव पुनरीक्षित प्राक्कलन में यदि किसी विषय शीर्ष/उपशीर्ष में राशि की आवश्यकता हो तो पुनर्विनियोग से राशि की व्यवस्था करते हुए पुनरीक्षित आकलन किया जाय।

14. **राज्य योजना:**— वार्षिक योजना 2014-15 के पुनरीक्षित प्राक्कलन का आधार योजना एवं विकास विभाग द्वारा विभागों के लिए निर्धारित योजना उद्ब्यय है। अतः उक्त आधार पर ही बजट प्राक्कलन प्रेषित किया जाय। जिन उपशीर्षों में अतिरिक्त राशि व्यय होनी है और राशि की उपलब्धता पुनर्विनियोग से नहीं हो सकती है तो उसके लिए प्रस्ताव द्वितीय अनुपूरक में सम्मिलित करने के लिए यथासमय भेजा जाना होगा और जिन उपशीर्षों में प्रावधानित राशि का व्यय नहीं होना है उसे प्रत्यर्पण करा दिया जाए ।

15. **राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ:**— वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजस्व प्राप्तियों/पूंजीगत प्राप्तियों के लिए जो राशि बजट में अनुमानित की गयी है, अगर उतनी राशि प्राप्त होनी संभावित नहीं हो अथवा बढ़ोत्तरी संभावित हो, तो संशोधित अनुमान विभागों द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन में दिया जाना होगा ।


वित्तीय वर्ष 2015-16 का बजट प्राक्कलन एवं वर्ष 2014-15 का पुनरीक्षण प्राक्कलन भेजना -

16. प्राक्कलन भेजने की निर्धारित तिथि :- गैर योजना एवं राजस्व प्राप्ति प्राक्कलन 30 सितम्बर, 2014 तक, कार्य विभागों के निर्माण बजट को 25 अक्टूबर, 2014 तक और राज्य योजना एवं केन्द्रीय योजनागत योजना के बजट प्राक्कलनों को 25 नवम्बर, 2014 तक भेजना सुनिश्चित किया जाय । योजना एवं विकास विभाग द्वारा विभागवार योजना उद्ब्यय निर्धारित करने के उपरांत राज्य योजना का बजट प्राक्कलन वित्त विभाग में भेजा जाना होता है ।

17. प्राक्कलन प्रति का प्रेषण:-बजट प्राक्कलन सीधे डाटा बेस के माध्यम से तैयार किया जाय। **Guide of Budget 2015-16** एवं निर्धारित प्रपत्र <http://finance.bih.nic.in> एवं <http://ctmisapp2:7778/biharCtmis/Login/Login.jsp> पर उपलब्ध है। विहित प्रपत्र-। (व्यय), प्रपत्र-।। में उपशीर्ष से संबंधित स्वीकृत एवं कार्यरत बल का विवरण ऑनलाईन CTMIS की site पर विभागों द्वारा भरा जाना है, जिसके संदर्भ में मार्गदर्शन की प्रति अनुलग्नक-। में संलग्न कर भेजी जा रही है। वित्त विभाग को भेजे जाने वाले हार्ड कॉपी में यह स्पष्ट किया जाए कि उपरोक्त प्रपत्र CTMIS की site पर किस तिथि को लोड किया गया । बजट प्राक्कलन की एक प्रति वित्त विभाग, दो प्रति महालेखाकार (लेखा एवं हक) एवं एक प्रति प्रशासी विभाग को निर्धारित तिथि तक भेजी जाय। बजट प्राक्कलन हेतु विहित प्रपत्र संलग्न कर भेजे जा रहे हैं। अतिरिक्त अपेक्षित प्रतियाँ वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रिंट अथवा छायाप्रति कराकर इस्तेमाल किया जा सकता है। विहित प्रपत्रों की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (सीडी) एक्सेल शीट (Excel Sheet) में भरकर वित्त विभाग को भेजी जानी होगी ।

अनुरोध है कि निर्धारित समय सीमा के अनुसार बजट प्राक्कलन तैयार कर विहित निर्धारित प्रपत्रों, जो इस पत्र के साथ संलग्न किये गये हैं, में अपेक्षित सूचनायें एवं आंकड़ों को भरवाकर सत्यापन करते हुए वित्त विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :- यथाउपरोक्त।

विश्वासभाजन,

(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक - पत्रांक-ब17/बी०एस०जी०-150/2014-804 (वि०) पटना, दिनांक-01.09.2014

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित। अनुरोध है कि बजट मैनुअल के नियम 61 (अपेंडिक्स-IV) में वर्णित तिथियों, जिसमें महालेखाकार प्राक्कलन पदाधिकारी है, के प्राक्कलन निर्धारित तिथि तक वित्त विभाग को भेजवाने की कृपा की जाय।

8/9/14

(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव-सह बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक पत्रांक-ब17/बी०एस०जी०-150/2014-804 (वि०) पटना, दिनांक-01.09.2014

प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल के सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/मुख्यमंत्री के सचिव/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली/महानिरीक्षक(कारा), गृह विभाग/सचिव, राजस्व पर्षद्/राज्य सूचना आयोग के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के सचिव/लोकायुक्त के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/9/14

(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव-सह बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक - पत्रांक-ब17/बी०एस०जी०-150/2014-804 (वि०) पटना, दिनांक-01.09.2014

प्रतिलिपि- निदेशक, सिविल विमानन, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/निदेशक, राजभाषा, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/निदेशक, सैनिक कल्याण, गृह विभाग/महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन विभाग/निदेशक, भविष्य निधि, वित्त विभाग/निदेशक, सांस्थिक वित्त, वित्त विभाग/सचिव, वाणिज्य-कर न्यायधिकरण, वाणिज्य-कर विभाग/निदेशक, राज्य योजना पर्षद, योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन, योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, पंचायत, पंचायती राज विभाग/निदेशक, स्थानीय निकाय, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण विभाग/निदेशक, समाज कल्याण विभाग/निदेशक, आई०सी०डी०एस०, समाज कल्याण विभाग/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा,

मानव संसाधन विकास विभाग/निदेशक, जन शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग/निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/निदेशक, उद्योग विभाग/निदेशक, हस्तकरघा, उद्योग विभाग/निदेशक, तकनीकी, उद्योग विभाग/प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण एवं वन विभाग/निदेशक, सामाजिक वानिकी, पर्यावरण एवं वन विभाग/निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पर्यावरण एवं वन विभाग/निदेशक, कृषि विभाग/निदेशक, उद्यान, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, कृषि विभाग/निदेशक, मत्स्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदेशक, गव्य निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग/निदेशक, सिंचाई सेल, जल संसाधन विभाग/निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग/निदेशक, चकबंदी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, भू-अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/निदेशक, पुरातत्व निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, अभिलेखागार, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, पर्यटन, पर्यटन विभाग/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव-सह बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक - पत्रांक-ब17/बी०एस०जी०-150/2014-804 (वि०) पटना, दिनांक-01.09.2014

प्रतिलिपि- मुख्यलेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन/संयुक्त सचिव, पेंशन शाखा/संयुक्त सचिव, प्रभारी शाखा-10ए/संयुक्त सचिव, लेखा शाखा/संयुक्त सचिव, कोषागार शाखा/स्थानीय लेखा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय, महालेखाकर (लेखा परीक्षा), वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि निर्धारित तिथि तक बजट प्राक्कलन अवश्य ही उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव-सह बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक - पत्रांक-ब17/बी०एस०जी०-150/2014-804 (वि०) पटना, दिनांक-01.09.2014

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, वित्त विभाग के सचिव/सचिव (व्यय) के आप्त सचिव/उप निदेशक/अवर सचिव (बजट)/ प्रणाली विश्लेषक/आईटी0मैनेजर, डाटा कोषांग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव-सह बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक - पत्रांक-ब17/बी०एस०जी०-150/2014-804 (वि०) पटना, दिनांक-01.09.2014

प्रतिलिपि- बजट शाखा/अर्थोपाय शाखा के सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सहायकगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि बजट प्राक्कलन की प्रति विभाग/नियंत्रि पदा० से प्राप्त होने एवं आँकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्टि करवाने के उपरांत संचिका उपस्थापित करायी जाय।



(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव-सह बजट पदाधिकारी

परिशिष्ट-1

नियंत्रि पदाधिकारियों के प्रथम संस्करण बजट (2015-16) जांच-पत्रक

क्रम संख्या	विषय-बिन्दु	नियंत्रि पदाधिकारियों के मन्तव्य (हां या ना)
1.	क्या आय-व्ययक प्राक्कलन प्रपत्र-1 प्राप्ति के वास्तविकी स्तम्भ (3,4,5,7 एवं 8) यथोचित रूप से भरे गये हैं ?	
2.	क्या नियंत्रण पदाधिकारियों द्वारा आय-व्ययक प्राक्कलन प्रपत्र-1 व्यय तैयार किया गया, पुनरीक्षित एवं बजट प्राक्कलन, प्रपत्र के स्तम्भ 9 एवं 11 में राशि अंकन करने के समय वेतन एवं जीवन यापन भत्ते के साथ अन्य मदों के लिए राशि को हजार में कर दिया गया है ?	
3.	क्या प्रत्येक उप-शीर्ष के अन्तर्गत वृद्धि अथवा कमी के लिये स्पष्टीकरण अभ्युक्ति स्तम्भ में दे दिया गया है तथा सुसंगत सरकारी आदेश जहाँ जरूरत है, उद्धृत किया गया है?	
4.	क्या नियंत्रि पदाधिकारियों द्वारा स्थापना के लिए राशि कार्यरत बल के आधार पर आकलन किया गया है? विस्तृत सूचना प्रपत्र-11 एवं IV में अंकित कर दिया गया है?	
5.	क्या व्यय के पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाने में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में किये गये उपबंध, पुनर्विनियोग, ऐसे स्वीकृत स्कीमों को जिसका उपबंध द्वितीय/तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में होना प्रस्तावित है उसे सम्मिलित कर प्रस्ताव दिया गया है?	
6.	क्या पुनरीक्षित एवं बजट प्राक्कलन दिये गये मार्गदर्शन एवं योजना एवं विकास विभाग द्वारा निर्धारित योजना उद्द्वय की अधिसीमा के अन्तर्गत तैयार किया गया है?	
7.	क्या राज्य योजना के लिये अलग प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है?	
8.	क्या केन्द्रीय योजनागत योजना के लिए अलग-अलग प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है? इनके लिए प्राप्ति बजट भी तैयार कर दिया गया है?	
9.	क्या नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा यथानिर्मित प्रथम संस्करण प्राक्कलन पूर्णतया स्थायी खर्चों पर आधारित है और अथवा जिसमें सरकार की अनुमति पहले से ही प्राप्त है अर्थात् इन प्राक्कलों में वार्षिक आधार पर चलने वाली ऐसी कोई नई अथवा अस्थायी योजना समाविष्ट नहीं है, जिनका उपबंध नई मांग अनुसूची (प्रपत्र-111) द्वारा द्वितीय संस्करण बजट में होना चाहिए?	

10. क्या पुनरीक्षित एवं बजट की प्राप्तियाँ एवं व्यय की घट-बढ़ के लिये पूर्ण स्पष्टीकरण एक अलग टिप्पणी में दिया गया है?
11. क्या नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा तैयार किया गया बजट प्राक्कलन के संलग्न प्रपत्र V में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य/परिणाम का विवरण अंकित कर दिया गया है?
12. क्या नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा तैयार किया गया बजट प्राक्कलन के संलग्न प्रपत्र VI में जेंडर बजट के संदर्भ में परियोजनाओं, कार्यक्रम एवं प्रावधान किये जाने वाली राशि का विवरण अंकित कर दिया गया है?
13. क्या नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा तैयार किया गया बजट प्राक्कलन के संलग्न प्रपत्र VII में बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट के संदर्भ में परियोजनाओं/ कार्यक्रमों के विरुद्ध प्रावधान किये जाने वाली राशि का विवरण अंकित कर दिया गया है?

नियंत्री पदाधिकारी
नियंत्री पदाधिकारी का
पदनाम :-
दिनांक

अनुलग्नक-1

CTMIS की साईट पर प्रपत्र-1 (व्यय), प्रपत्र-1 (प्राप्तियाँ) एवं प्रपत्र-11 में उपशीर्ष से संबंधित स्वीकृत एवं कार्यरत बलों की सूची भरने के संदर्भ में मार्गदर्शन:-

स्टेप- 1. सर्वप्रथम Seclan Connected PC में इंटरनेट एक्प्लोरर में जाकर Address bar में <http://dcweb> या <http://iwww.bihar.gov.in> टाईप करके **BSWAN** का पेज खोले एवं सी0टी0एम0आई0एस0 बजट एपलिकेशन पर क्लिक करें। इससे बजट एपलिकेशन खुलेगा।

स्टेप- 2. बजट एपलिकेशन में ऑफिस में Department चुने एवं सब ऑफिस में अपना विभाग चुने। उसके बाद यूजर आई डी बॉक्स में अपने विभाग का यूजर आई0डी0 डालें - जैसे-होम डिपार्टमेंट के लिए - DPT_HOM_001 और पासवर्ड में स्मॉल abc टाईप करें तथा वित्त विभाग के लिए DPT_FIN_001 और पासवर्ड में स्मॉल abc टाईप करें।

स्टेप-3. अब फिर बाएं तरफ मेन्यू के Budget लिंक के अन्दर Initiation के अन्दर Resource Capture में Year में 215-16 चुने, Department में अपना विभाग चुने एवं Budget Code में बजट कोड लिखें और फिर रिट्रीव करें और उस विण्डो में Designation, Grade Id, Sort Order आदि को उस विण्डो में भरें। डेजिग्नेशन बॉक्स में जाएं और संबंधित कर्मी/पदाधिकारी का डेजिग्नेशन सेलेक्ट करें उसके बाद स्केल कॉलम में जाकर संबंधित कर्मी/पदाधिकारी का स्केल सेलेक्ट करें। फिर प्रिभियस ईयर का सैक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ तथा करेंट ईयर का सैक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ के फील्ड में डाटा डालें, जो भी नया रिकॉर्ड जोड़े हैं उसे सेव करें। सेव करने के बाद Data saved successfully का मैसेज दिखाई देगा। अगर आपके द्वारा कोई डाटा फीड करने में गलती हो गयी हो तो उसे डिलिट करने के लिए राईट हैड साईड में चेक बॉक्स में जाकर बॉक्स में मार्क (सही) का निशान करें और तब डिलिट बटन पर दबाएं तब गलत डाटा डिलिट हो जायेगा। ध्यान दें- यदि कोई Designation अथवा Scale न दिखाई दे रहा हो तब बायें तरफ के मेन्यू में Master लिंक के अन्दर Resource Capture के अन्दर Designation Detail एवं Scale Detail में जाकर Master डाटा की इन्ट्री कर लें।

स्टेप-4 अब बाएं तरफ के मेन्यू में Budget लिंक के अन्दर Initiation के अन्दर Other Resource Capture में क्लिक करें, फिर बजट साल एवं बजट कोड डालें और रिट्रीव करें, उसके बाद गाड़ी संख्या, दूरभाष, वर्दी तथा अन्य डाटा डालें।

स्टेप-5 अब बाएं तरफ के मेन्यू में Budget लिंक के अन्दर Initiation के अन्दर Demand Capture में क्लिक करें, फिर बजट साल, Demand एवं बजट कोड के

Major Head आदि डालें जैसे बजट साल, डिमांड संख्या, मुख्य शीर्ष, उपमुख्य शीर्ष, लघुशीर्ष, उपशीर्ष एवं प्लान स्टेटस(नन प्लान, प्लान, सीएसएस, सीपीएस ईत्यादि) सेलेक्ट करें

उसके वोटड/चार्ज सेलेक्ट करें। तत्पश्चात् रिट्रीभ करें एवं संबंधित जानकारियां जैसे-वास्तविकी इत्यादि भरें जो भरने के लिए उपलब्ध हो उसके बाद **Save** पर क्लिक करें। ध्यान दें - अगर रिट्रीभ करने के बाद जो विषयशीर्ष नहीं आ रहा हो तो उसे **ADD New Record** में जाएं उसके बाद एक नया विण्डो आएगा उसमें संबंधित विषय शीर्ष सेलेक्ट करें एवं संबंधित सेलेक्ट फिल्ड में क्लिक कर **Save New Account** पर क्लिक करें। अब **Demand Details have been Entered Successfully** दिखेगा अब आपका डाटा तैयार है। अब रिपोर्ट देख सकते हैं जो आपने डाटा इंट्री किया/करवाया है।

Reports

रिपोर्ट देखने के लिए रिपोर्ट मेन्यू के बजट में जाएं और डिपार्टमेंट बटन पर क्लिक करें, अब नया विण्डो दिखेगा। उसमें डिपार्टमेंटल बजट प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक करें। अब वित्तीय वर्ष, मांग संख्या, मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, उपशीर्ष प्लान स्टेटस आदि डालें। अब जेनरेट पर क्लिक करें। अब रिपोर्ट देखें जो आपने अभी तक डाटा फीड किए हैं।

बिहार सरकार

.....विभाग
.....नियंत्रि पदाधिकारी का कार्यालय

आय-व्ययक प्राक्कलन शीर्षक के अंतर्गत व्यय 2015-16 वर्ष के लिए

.....
ज्ञाप संख्या

सेवा में,

प्रधान सचिव, वित्त विभाग/महालेखाकार (लेखा एवं हक०)
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को दो प्रतियों में/.....
.....(प्रशासी) विभाग बिहार, पटना

दिनांक2014

.....
नियंत्रि पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम

प्रपत्र - III

बजट के लिए नई मांगों की अनुसूची						
विभाग का नाम -						
भार का विवरण	मुख्य, उप मुख्य, लघु और उपशीर्ष के विषय शीर्षों में ब्यौरा	चरम व्यय		बजट प्राक्कलन		स्पष्टीकरण
		आवर्तक	अनावर्तक	आवर्तक	अनावर्तक	
1	2	3	4	5	6	7

नोट- अगर किसी विभाग में एक से अधिक परियोजनाएँ नयी हो तो नयी मांगों की सूची देनी होगी, जिसके लिए निम्नलिखित प्रपत्र का प्रयोग किया जाना है :-

अत्यावश्यकता क्रम	मुख्य, उप मुख्य, लघु और उपशीर्ष के विषय शीर्षों में ब्यौरा	भार का विवरण	चरम व्यय		बजट प्राक्कलन		योजना कितने वर्षों के लिए मंजूर की गयी है (आवर्तक योजना के मामले में, जो स्थायी तौर पर मंजूर न हुई हो)	अभ्युक्ति
			आवर्तक	अनावर्तक	आवर्तक	अनावर्तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र-IV

प्रशासी विभाग के अधीन लोक उद्यमों, विश्वविद्यालयों एवं वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मियों के बारे में सूचना:-

विभाग का नाम

मुख्य शीर्ष

उपमुख्य शीर्ष

लघु शीर्ष

उपशीर्ष

क्रमांक	पदों का वर्गीकरण		स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कुल वेतन की राशि (भत्तों सहित)
1	2		3	4	5
	I	II			
	ग्रुप 'ए'	वेतनमान			
	ग्रुप 'बी'	वेतनमान			
	ग्रुप 'सी'	वेतनमान			
	ग्रुप 'डी'	वेतनमान			

प्रपत्र-VIII

निकाय के मूलधन एवं सूद का विवरण जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

विभाग का नाम

मुख्य शीर्ष

विपत्र कोड

उप मुख्य शीर्ष

लघु शीर्ष

उपशीर्ष

(राशि लाख रु०में)

क्र० सं०	संस्थान/बोर्ड/निगम/प्राधिकारों के नाम	कुल ऋण की राशि	भुगतान का किस्त	कितने किस्तों का भुगतान किया जा चुका है	अवशेष राशि	वर्ष 2014-15 में पुनरीक्षित अनुमान		वर्ष 2015-16 का बजट अनुमान		अभ्युक्ति
						मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

बिहार सरकार

.....विभाग
.....नियंत्रि पदाधिकारी का कार्यालय

आय-व्ययक प्राक्कलन शीर्षक के अंतर्गत प्राप्तियाँ 2015-16 वर्ष के लिए

.....
ज्ञाप संख्या

सेवा में,

प्रधान सचिव, वित्त विभाग/महालेखाकार (लेखा एवं हक०)
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को दो प्रतियों में/.....
.....(प्रशासी) विभाग बिहार, पटना

दिनांक 2014

नियंत्रि पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम

प्राप्तियाँ (प्रपत्र-I)

विभाग.....

मुख्य शीर्ष

लघु शीर्ष

विपत्र कोड

उपमुख्य शीर्ष-

उपशीर्ष-

के अन्तर्गत बजट प्राक्कलन

विषय शीर्ष कोड	विषय शीर्ष का ब्यौरा	वास्तविकी			चालू वर्ष 14-15 का स्वीकृत आय-व्ययक	वास्तविकी		चालू वर्ष का पुनरीक्षित प्राक्कलन 14-15		आगामी वर्ष 15-16 का आय-व्ययक अनुमान		व्याख्यात्मक अभ्युक्तियाँ
		2011-12	2012-13	2013-14		पिछले वर्ष के प्रथम चार माह 13-14	चालू वर्ष के प्रथम चार माह 14-15	नियंत्रण पदा० द्वारा प्रस्तावित	प्रशासी विभाग द्वारा संशोधित प्रस्ताव	नियंत्रण पदा० द्वारा प्रस्तावित	प्रशासी विभाग द्वारा संशोधित प्रस्ताव	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												(i) करों, शुल्कों (फीसों तथा अधिभारों) आदि की वर्तमान दर में यदि पूर्व की दर से विचलन हो तो उसका उल्लेख-
												(ii) पूर्व के वर्षों का बकाया तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उनके प्राप्त होने की राशि की संभावना-
												(iii) वर्ष 2015-16 के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए जो विशेष उपाय किये जाने वाले हैं उनका विवरण संक्षेप में-
												(iv) प्राप्ति में यदि वापसी हो तो किस वर्ष में हुई प्राप्ति से संबंधित है का उल्लेख-
												(iv) 2014-15 के पुनरीक्षित प्राक्कलन में चालू वर्ष के स्वीकृत आय-व्ययक प्राक्कलन के अनुमान के अनुसार राशि में कमी/वृद्धि के औचित्य का उल्लेख-

नोट - राजस्व प्राप्ति की वापसी अगर किसी शीर्ष में की जानी हो तो लघु शीर्ष 900-घटाये वापसियों संबंधित उपशीर्ष से किया जाना है। बजट प्राक्कलन में संभावित वापसी को घटाकर (-) अलग से चिह्नित कर दिखायें।